| आदेश की क्रम संख्या और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई व बारे में टिप्पणी तारीख सहित |
|---|---|---|

**उपायुक्त का न्यायालय, जामताड़ा।**

Confiscation Case No. -13/2023-24

सरकार द्वारा पुलिस अधीक्षक, जामताड़ा **बनाम** सुखसागर मंडल एवं अन्य

**आदेश**

यह वाद पुलिस अधीक्षक, जामताड़ा के पत्रांक-870/अप0शा0, दिनांक-27.06.2023 द्वारा फतेहपुर थाना काण्ड संख्या-14/2023 दिनांक-06.05.2023 में जप्त तीन (03) क्विंटल कच्चा कोयला को राजसात (Confiscation) की कार्रवाई किये जाने की अनुरोध पर दायर है।

उक्त वाद में थाना काण्ड संख्या-14/2023 दिनांक-06.05.2023 में प्राथमिकी अभियुक्त 1. सुखसागर मंडल, पे0-मदन मंडल 2. वरूण पाल पे0-युद्धपति पाल, दोनो सा0-छोटा आसना, दोनो थाना-फतेहपुर, जिला-जामताड़ा है। प्राथमिकी अभियुक्तों को कारण पृच्छा प्रस्तुत करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। उक्त नोटिस का तामिला प्राप्त है। प्राथमिकी अभियुक्तों द्वारा कारण पृच्छा न्यायालय समक्ष प्रस्तुत किया गया।

विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। उनका कहना है कि वे बिल्कुल निर्दोष है एवं जप्त मोटर साईकिल या आरोपित जप्त अवैध कोयला से उन लोगो का कोई संबंध नहीं है। उनके द्वारा जप्त कोयला पर कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया।

विज्ञ सरकारी अधिवक्ता को सुना। उनका कहना है कि The Jharkhand Minerals (Prevention of illegal Mining, Transportation and Storage) Rules 2017 की Rule 11(v) "Any Minerals, tool, equipment, vehicle or any thing seized shall be liable to be confiscated by an order of the court of the Deputy Commissioner of the concerned district and shall be disposed of in accordance with direction of such court." के अनुसार उक्त कांड में जप्त तीन (03) क्विंटल कच्चा कोयला राजसात की कार्रवाई किया जाना न्यायसंगत होगा।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। अभिलेख में संलग्न कागजातो का अवलोकन किया।

अतः The Jharkhand Minerals (Prevention of illegal Mining, Transportation and Storage) Rules 2017 की Rule 11(v) के तहत् फतेहपुर थाना काण्ड संख्या-14/2023 दिनांक-06.05.2023 में जप्त तीन (03) क्विंटल कच्चा कोयला राजसात (Confiscate) किया जाता है। जिला खनन पदाधिकारी, जामताड़ा को निदेश दिया जाता है कि वे प्रश्नगत तीन (03) क्विंटल कच्चा कोयला को नियमानुसार निलाम करने के पश्चात् प्राप्त राशि को जिला कोषागार, जामताड़ा में सुसंगत शीर्ष में जमा करना सुनिश्चित करेंगे।

लेखापित एवं संशोधित।

उपायुक्त,
जामताड़ा।

उपायुक्त,
जामताड़ा।

Digitally signed by 127.0.0.1
Date: 2023.10.09 09:08:47 +05:30
Location: 192.168.43.106